भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फाइल संख्या 07/18/2022-डीजीटीआर

भारत सरकार, वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 7 दिसंबर 2022

जांच समाप्ति अधिसूचना

मामला संख्याः एडी (एसएसआर) 07/2022

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेरामिक रोलर्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की समाप्ति ।

क. प्रस्तावना

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए फ्युचूरा सेरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे 'आवेदक' भी कहा गया है) ने चीन जन.गण., (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेरामिक रोलर्स" जिसे यहां आगे ("विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था ।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाता है तो उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृति होने की संभावना है । इसके

अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवतरूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है ।

3. तद्नुसार, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अध्याय 69 के तहत वर्गीकृत "सेरामिक रोलर्स" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत की गई थी ।

ख. पृष्ठभूमि

4. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/47/2016-डीजीएडी दिनांक 26 मार्च, 2018 के माध्यम से चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में जांच की थी और पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । तत्पश्चात केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं. 27/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 17 मई, 2018 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया था । यह शुल्क 16 मई, 2023 को समाप्त होना निर्धारित है ।

ग. प्रक्रिया

5. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के बाद जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पतों के अनुसार भेजी थी और उनसे ए डी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरूआत अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था ।

6. प्राधिकारी ने 10 नवंबर, 2022 तक प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए पहली बार समय बढ़ाया और आगे उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 20 नवंबर, 2022 तक समय बढ़ाया गया, जिसे डी जी टी आर की वैबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था ।

7. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई थी ।

8. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था । उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी ।

9. जांच शुरूआत अधिसूचना और सूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और कानूनी अनुरोध प्रस्तुत करके प्राधिकारी को उत्तर दिया था ।

घ. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

10. दिनांक 14 नवंबर, 2022 के ई-मेल के माध्यम से आवेदक ने सूचित किया कि कंपनी के समक्ष आने वाली कतिपय कठिनाइयों के कारण कंपनी निर्णायक समीक्षा जांच पर आगे कार्रवाई नहीं चाहती है ।

11. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 1 दिसंबर, 2022 को घरेलू उद्योग को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया था । तथापि, आवेदक ने दिनांक 29 नवंबर, 2022 के ई-मेल द्वारा सूचित किया कि वह यह बताते हुए बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं कि, *"कंपनी ने इस बात पर विचार करते हुए उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है कि उसे चीन से पाटन का समाधान करने के लिए पर्याप्त संरक्षण मिलने की संभावना नहीं है । अतः कंपनी प्रस्तावित बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ होगी ।"*

ड. प्राधिकारी द्वारा जांच

12. घरेलू उद्योग, फ्युचुरा सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 14 नवंबर, 2022 और 29 नवंबर, 2022 के ई-मेल के माध्यम से किए गए अनुरोध की जांच की गई है ।

13. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग के रूप में फ्युचुरा सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी । आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है ।

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली का नियम 14(क) निम्नानुसार उल्लेख करता है :

"14. जांच की समाप्ति - निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके किसी जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि- (क) उन्हें पीड़ित घरेलू उद्योग जिसके अनुरोध पर जांच की शुरूआत की गई थी, से या उसकी ओर से लिखित में ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होता है ।"

15. यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 14 कतिपय स्थितियों में जांच की समाप्ति का प्रावधान करता है जिनमें ऐसी स्थिति शामिल है, जहां कंपनी द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है । नियमावली का नियम 14(क) में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच तत्काल समाप्त कर देंगे यदि उन्हें उस पीड़ित घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, से या उसकी ओर से लिखित में ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होता है ।

च. निष्कर्ष

16. घरेलू उद्योग, फ्युचुरा सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोध के मद्देनजर और नियमावली के नियम 14(क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी सूचना सं. 7/18/2022-डी जी टी आर द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2022 को शुरू की गई जांच को एतदद्वारा समाप्त करते हैं ।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी